संख्या 142 /2018/1187/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(56)/2015

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-II,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 2018**

विषय- जनपद न्यायालय बुलन्दशहर, जनपद न्यायालय जालौन तथा वाहय न्यायालय कालपी , उरई , कोंच एवं जनपद न्यायालय चन्दौली के वाहय न्यायालय चकिया में चहारदीवारी के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय न्यायालय बुलन्दशहर, जनपद न्यायालय जालौन तथा वाहय न्यायालय कालपी , उरई , कोंच एवं जनपद न्यायालय चन्दौली के वाहय न्यायालय चकिया में चहारदीवारी के निर्माण हेतु आगणन क्रमश: रू0106.65 लाख(जीएसटी देय), रू072.96 लाख (जीएसटी देय), रू034.63 लाख(जीएसटी देय) ,रू0105.03 लाख(जीएसटी देय), रू085.65 लाख(जीएसटी देय) तथा रू048.98 लाख(जीएसटी देय) अर्थात कुल रू0453.90 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ क्रमश: रू0106.65 लाख, रू072.96 लाख, रू034.63 लाख , रू0105.03, रू085.65 लाख तथा रू048.98 लाख अर्थात कुल रू0453.90 लाख (रूपये चार करोड़ तिरपन लाख नब्बें हजार मात्र) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- **जनपद न्यायालय बुलन्दशहर में चहारदीवारी के निर्माण हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम को तथा जनपद न्यायालय जालौन एवं वाहय न्यायालय कालपी, उरई, कोंच में चहारदीवारी के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, को एवं जनपद न्यायालय चन्दौली के वाहय न्यायालय चकिया में कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारापोरेशन लि0 नामित किया जाता है । अत: संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।**

2- **कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी। निर्माण कार्य की गुण्वत्ता बनी रहे तथा कार्य की मापों/ मात्राओं आदि की द्विरावृत्ति की सम्भावना किसी स्तर पर न हो इसका दायित्व कर्यदायी संस्था का होगा ।**

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य का रंगीन फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराया जायेगा ।

4 - धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक कर लिया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि बैंकखाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

5- पुनरीक्षित आगणन के आधार पर प्रश्नगत कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप जनपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

6- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अच्छादित है।

8- लागत आकंलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

9- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

10- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

12- निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा मे पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

13- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

14- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

15- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक

---

21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

16- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी 2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 07-अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-655 /दस-2018, दिनांक 06 नवम्बर,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संं0- 142 /2018/1187(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- जनपद न्यायाधीष बुलन्दशहर, जालौन तथा चन्दौली ।

4- निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ ।

5- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के माध्यम से ।

8- निदेशक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लखनऊ ।

9- प्रबन्ध निदेशक प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।

10- परियोजना प्रबन्धक यूनिट-28 सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम गाजियाबाद ।

11- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।

13- अपर परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 जालौन ।

14- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या 142 /2018/1187/ सात-न्याय -9(बजट)-2018-800(56)/2015

दिनांक 06 नवम्बर,2018 का संलगनक

क्रमांक	जजशिप	अनुमोदित लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि	कार्यदायी संस्था /सम्बन्धित अधिकारी
1	बुलन्दशहर	106.65	106.65	परियाजना प्रबन्धक सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट-28 गाजियाबाद
2	जालौन	72.96	72.96	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट- झॉसी
3	जालौन (कालपी)	34.63	34.63	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट- झॉसी
4	जालौन (उरई)	105.03	105.03	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट- झॉसी
5	जालौन (कोंच)	85.65	85.65	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, यूनिट- झॉसी
6	चन्दौली (चकिया)	48.98	48.98	परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-3 वाराणसी

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव
